न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 139/2017

1. सीताराम पुत्र स्व. श्री भूरा राम बलाई जाति बलाई आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्रभुदयाल बलाई पुत्र श्री लादू राम बलाई आयु 72 साल, निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत जयचंदपुरा, पंचायत कार्यालय ग्राम जयचंदपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये सरपंच।

.....अप्रार्थी/गैर निगरानीकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 05.09.2006 मिसल संख्या 15 दायर दिनांक 23.03.2006 ग्राम पंचायत जयचंदपुरा पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.06.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयचंदपुरा पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 05.09.2006 मिसल संख्या 15 जिसके द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 प्रभुदयाल बलाई पुत्र श्री लादू राम बलाई निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा संख्या 43 कुल क्षेत्रफल 320 वर्गगज जारी करने के आदेश दिये गये, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री प्रमोद कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.07.2017 द्वारा निगरानीधीन पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया है। विपक्षी संख्या–दो ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा दिनांक 05.09.2006 को अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 43 जारी किया गया था, यह पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कानून में निर्धारित सभी नियमों की अनदेखी करते हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा जारी किया था। निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता कोई सूचना नहीं दी। विवादित पट्टा ग्राम लाडीपुरा के आम रास्ते

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

का जारी किया गया है तथा मौके पर बरगद का सौ वर्ष पुराना पेड है। विवादित भूमि पर गैर निगरानीकर्ता के पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पट्टा जारी कर दिया। विवादित भूमि रिहायस के काम ना आकर आम रास्ते के काम सैकडो वर्षो से आ रही है। ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा 320 वर्गगज का जारी किया है एवं निगरानीकर्ताओं द्वारा 320 वर्गगज से भी अधिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ की एवं ए.ई.एन पंचायत समिति जमवारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 विवादित पट्टे की आड में नाजायज तरीक से बरगद के पेड को कटवाना चाहते है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने न तो नियमानुसार पत्रावली बनायी एवं न ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया जो गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का प्रारूप भी गलत है। विवादित पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से नियमों की अवहेलना कर जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयचंदपुरा पं0स0 जमवारामगढ के आदेश दिनांक 05.09.2006 द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 43 निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी के पक्ष में निर्णय पारित कर जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा पेश की गयी निगरानी अन्दर मियाद नहीं है। प्रार्थी का ही विवादित भूमि पर कब्जा है। ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा विधि अनुसार पूरी प्रकिया अपनाकर मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट के आधार पर ही पट्टा जारी किया है। विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता पूर्वजो के समय से काबिज है। निगरानीधीन भूमि पर रास्ते को लेकिर कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी के पट्टे में वर्णित भूमि में पुराना बरगद का पेड है जो अत्यधिक जर्जर अवस्था में जिसके कारण गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के जान–माल का नुकसान डर बना रहता है। जिसे कटवाने की अनुशंसा विकास अधिकारी पं0स0 जमवारामगढ व तहसीलदार जमवारामगढ भी कर चुके है। निगरानीकर्ता द्वारा झूठे तथ्यों को पेश कर निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की पट्टेशुदा भूमि में स्थित बरगद का पेड कटवाया जाने का आदेश कर अनुग्रहीत करें।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत जयचंदपुरा की पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। विपक्षी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर दलील है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विलम्ब से पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे, किन्तु

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

मियाद के बिन्दु के आधार पर निगरानी खारिज करना न्यायहित में उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 या राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निगरानी के सम्बन्ध में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। वकील निगरानीकर्ता की मुख्य दलील की पंचायत ने निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को न ही कोई नोटिस दिया एवं न ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया। विवादित भूमि पर हक व कब्जे को लेकर विवाद होने की स्थिति में ग्राम पंचायत नायला को निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर, साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना जाहिर नहीं होता है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवरामगढ की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की सीमाओं एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ की जांच के समय विवादित भूमि के मौके की माप में भिन्नता है एवं गैर निगरानीकर्ता द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा विवादित स्थल की मंगवाई गई मौका रिपोर्ट सहायक अभियन्ता पंचायत समिति जमवारामगढ के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा 320 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जबकि गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने मौके पर 348.75 वर्गगज पर कब्जा कर रखा है तथा कब्जा शुदा जमीन में बरगद का पेड है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि गैर निगरानीकर्ता का अनाधिकृत कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है। बरगद के वृक्ष के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पृथक से आदेश दिनांक 09.11.2017 पारित किया जा चुका है जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि गैर निगरानीकार बरगद का वृक्ष काटने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के अर्न्तगत संबंधित संस्था/विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही कर सकता है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नायला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2006 मिसल संख्या 15 द्वारा प्रभुदयाल पुत्र श्री लादूराम बलाई निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट प्रथम
जयपुर

Scanned by CamScanner